

http://172.25.186.5/cishcbom/Demo/men

Y. REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 68574/2015

WP/7436/2015

From

Deputy Registrar, **High Court of Judicature** at Indore

on Merit Fixed for 14-12-2015 WP-DA-1 Respondent No. 1

To,

State of Madhya Pradesh, Through Principal Secretary Tribal Welfare Department, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

19005/11-15

Indore 03-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 7436/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Devilal Dhangar has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/7436/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 14-12-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your's faithfully



Writ Petition No. 8382

(Service Matter)

EN THE HON BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADSEH BENCH AT INDORE

- Petitioners 1. Markandey Mishra S/o Late Ishwerdev
 Aged- 41 years, Occup-Peon (Contingency)
 R/o Pala Bazar,
 District- Barwani (M.P.)
 - Vijay Goyal S/o Shri Nandlal Goyal
 Aged- 45 years, Occup-Peon (Contingency)
 R/o Village- Silabad, Teh- Barwani
 District- Barwani (M.P.)
 - 3. Navin Nimadey S/oShri Bhiluram Nimadey Aged-38years, Occup-Peon (Contingency) R/o Pala Bazar, Naresh Tailor District- Barwani (M.P.)
 - 4. Shobharam S/o Shri Shantilal Malviya
 Aged-38 years, Occ. Water Man(Contingency)
 R/o New Panwadi Mohalla,
 District- Barwani (M.P.)
 - 5. Govind Nihaie S/o Shri Dhannalal Nihale
 Aged-45 years, Occup- Peon (Contingency)
 R/o Imlipura Road, Rajpur
 District- Barwani (M.P.)

V/s

.ondents

- 1- State of Madhya Pradesh
 Through Principal Secretary,
 Tribal Welfare Development,
 Vallabh Bhawan, Mantralaya,
 Bhopal (M.P.)
- 2. The Commissioner,
 Tribal Welfare Department
 Satpuda Bhawan
 Bhopal(M.P.)
- 3. Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department, Barwani (M.P.)

प्राच्या व्यक्तिरं स. के प्राच्या व्यक्तिरं स. के

A.

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

कमांक / स्था07 / बी / 8659 / 2015 / ? 7 1 7 1

भोपाल,दिनांक 28/12/15

1612

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यु०पी० 7436 / 15 श्री देवीलाल धनगर, प्रयोगशाला सहायक जिला बडवानी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश व्र नाक एफ 4/196/2001/25/1 दिनाक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बडवानी (म०प्र०) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्त्रयों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तूरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्योरे नीचे दिये गये हें, निम्नलिखित, कार्य करेगा :-

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तूरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उडाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीयं अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगां । यदि किसी प्रक्ररण बर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी।

- सगरत सुसंगत फाइलें, दरतावेज, नियम, अधिसुबनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- वाद पत्र/याविका में उठाए गए समस्त विन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी दत हुए जिन्हें कि शासकार्य आभेभाषक की सहायता पहुंचाने की समावना है एक रिपार तैयार करणा
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।
- शासकीय अधिनक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :-
 - वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।
 - प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।
 - उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
 - प्रकरण के विश्वद्वीकरण के लिये आवश्यक कांगज पत्रों की प्रतिया विद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
 - प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।
- जब भी कोई आदश /निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गर्या, तब विधि विमार्ग को स्चित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन
- अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।

प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहारोग देगा तथा इस बात के लिए

उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये। प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट

विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से

अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें। प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च / उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील / रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कतंत्र्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील / रिवीजन प्रस्तृत करने की अनुमति

मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अविध में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।

भोपाल ,दिनांक...28/12/15

पुष्टांकन / स्था. 7 / सी / 8659 / 2015 / 27 | 72 प्रतिलिपि:-

अतिरिक्त गहाधिवक्ताः वैंच इन्द्रौर म्0प्र0 ।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन् आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म०प्र०।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोणल म०प्र०।

संभागीय संपायुक्त / नाडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एव अनुसूचित जाति विकास, इन्दौर

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बड़वानी (म०प्र०) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट)पर शासकीय अधिववता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपॉट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रपित। मामले की प्रगति रिपॉर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव हो भेजनी चाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस

कार्यालय की उपलब्ध करावें । प्रभारी अधिकारी स्थापना 3-2 शाखा, मुख्यालय भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेत्।